



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 382 राँची, गुरुवार,

7 अगस्त, 2025 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

दिनांक: 07 अगस्त, 2025/ श्रावण 16, 1947(शक)

480/पी.ओ.पी/2025 :- राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा;

- (क) अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2025 की अधिसूचना सं. 480/कार्यक्रम/2025 के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं. एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और
- (ख) 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

(सूमन कुमार दास)
सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Dated: 7th August, 2025/ Sravana 16, 1947 (Saka)

480/P.O.P/2025:- In pursuance of Rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby;

- (a) fixes Room No. F-101, Vasudha, First Floor, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-Presidential Election to be held in accordance with its Notification No.480/Programme/2025, dated the 07th August, 2025; and
- (b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the said place of polling.

By Order,

(SUMAN KUMA DAS)

SECRETARY
